

प्रमाणित है जो समझ में आया है।  
जाकर प्रस्तावली व्यक्ति के पास  
प्रमाणित करने के आदेशों का  
दिनांक 18-11-2019 को प्रेष  
है।

सहायक कलेक्टर  
एव उप खण्ड अधिकारी  
बिलासपुर

8-11-2019

प्रस्तावली आज प्रस्तुत हुई।  
व्युत्पन्न शरीरों के अभाव में।

उस प्रमाणित के सम्बन्ध में

नाजक कुल वाद संख्या 11/2019  
नाथुराम बजाज विद्यादेवी वर्मा  
अन्तर्गत संख्या 188 अर्थात् 20 सितंबर  
1955 के प्रमाणित अन्तर्गत  
आदेश 7 निम्न 11 (डी) सी.पी.सी.  
संप्रति संख्या 151 सी.पी.सी.  
के अन्तर्गत है जो कि अर्थात्  
कुल वाद संख्या 11/2019  
है।

सहायक कलेक्टर  
एव उप खण्ड अधिकारी  
बिलासपुर

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज


ख  
म

कुल ब्याच प्रवर्षित हो जसके  
से ग्रह प्रवर्षण पत्र सादरीक  
हो चुका है।

अब प्रवर्षण पत्र अन्तर्गत  
धारा 212 राजस्थान प्रवर्षण  
कायदा 1955 सादरीक हो जसके  
से प्रवर्षित किया जाता है।

प्रस्तावणी के अन्तर्गत सुभाष  
गण्ड से कल होकर कुल  
राजस्थान ब्याच संख्या 11/2013  
कायदा संख्या 4/5 प्रवर्षण के अन्तर्गत  
अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान  
प्रवर्षण अधिनियम 1955 के  
अन्तर्गत संख्या है।

जिनीय सर अरुण  
सुभाष गण्ड।

(  
रवीन्द्र कुमार)

सहायक कलेक्टर  
एन उप खण्ड अविभाजित  
विलास